112

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र0 क0 निगरानी —एक/15 निगरानी 2065-I-15

1—भगवान दास तनय दुर्गा यादव
2—छिददू सौर तनय मुलवां सौर
निवासी ग्राम नौरपारा तहसील
खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0

श्री श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा एडवोकेट
द्वारा आज दि. 6/7/15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 6-7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

— निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1— छन्नूलाल लोधी तनय बिन्द्रावन
2—बालचन्द्र तनय अमान लोधी
निवासी ग्राम मनपसार तहसील
खरगापुर जिला टीकमगढ म0प्र0

— गैर-निगरानीकर्ता

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांक 2.7.15 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ प्र0क0 11/स्व0निग0/13—14 से परिवेदित होकर प्रस्तुत की जा रही है ।

श्रीमान महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी अंदर अवधि निम्न प्रकार पेश है ।

1— यह कि ग्राम पंचायत मनपसार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी महोदय बल्देवगढ द्वारा अपने प्रकरण कमांक 01/अ—66/2012—13 में पारित आदेश दिनांक 20.5.2013 के पालन में ग्राम

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निग0 2065–एक/15 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–9–16	आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा द्वारा प्रस्तुत शीघ्र सुनवाई के आवेदन पर प्रकरण आज लिया गया । अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कुंवरसिंह कुशवाह उपस्थित । 2/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा सर्वप्रथम प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की गई, जिस पर दोनों पक्षों को सुना गया । अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में विविध याचिका कमांक 11898/15 प्रस्तुत की गई है जिसमें आवेदक कमांक 2 भी पक्षकार है और उक्त याचिका लंबित है, इस कारण इस न्यायालय में यह निगरानी प्रचलन योग्य नहीं है । इस संबंध में प्रकरण में संलग्न माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका की प्रति की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया गया । आवेदक अधिवक्ता अनावेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर कोई ठोस समाधानकारक जबाव प्रस्तुत नहीं कर सके, । मेरे द्वारा आलोच्य आदेश एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय में निगरानी आवेदक भगवानदास एवं छिद्दू सौर द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 2–7–15 के विरूद्ध पेश की गई है । इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष जो याचिका पेश की गई है वह भी अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 2–7–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अन्य आवेदकों के साथ आवेदक छिद्दू सौर भी आवेदक के रूप में संयोजित है । इस प्रकार स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध दो न्यायालयों में कार्यवाही प्रचलित है । चूंकि माननीय उच्च न्यायालय में	

निग- 2065-I/15 (टीकमगढ़)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध याचिका लंबित है ऐसी स्थिति में इस न्यायालय मे प्रस्तुत निगरानी को प्रचलित रखने का कोई औचित्य नहीं है । परिणामतः इसी आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है । 3/ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	